आपबीती

"मैं बचपन से ही अपने पति और उसके घरवालों को जानती थी। बी.ए. की पढ़ाई करते–करते हमें प्यार हो गया। हम दोनों अलग जाति के थे इसलिए मेरे रिश्तेदारों और परिजनों ने हमें शादी करने की रज़ामंदी नहीं दी थी। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर शादी में दहेज़ मिलेगा तो उसके घरवाले शादी को मंज़ूरी दे देंगे। खैर हमने सभी विरोधों के बावजूद शादी कर ली।

पति पेशे से एक वैज्ञानिक था जिसकी नौकरी दिल्ली में थी। शादी के बाद हम दिल्ली आकर रहने लगे। पहले ही दिन से पति का व्यवहार अपमानजनक था। वह कहता कि मैं सुंदर नहीं हूं और मुझे कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता। सबके समाने मुझे ज़लील करना उसकी रोज़ की आदत बन गई थी।

जब मैं मां बनने जा रही थी तो पति ने मुझे अपने माता–पिता के पास चेन्नई भेज दिया। ससुराल में मुझे सबकी सेवा करनी पड़ती थी। वे लोग मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। जब मेरे पेट में पांच माह का गर्भ था तब पति ने मेरे पेट पर लात मारकर मुझे पूरे दिन घर के बाहर खड़ा रखा। इससे मेरी बच्चेदानी में चोट लग गई। मानसिक व शारीरिक तकलीफ़ों के अलावा अब पति मुझे बेकार औरत भी समझने लगा था। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं अपना नाम तक भूल गई। मगर मुझ पर अत्याचार कम नहीं हुए। पति मेरे बेटे से भी नफ़रत करता था। मैं सब कुछ चुपचाप इसलिये सहती रही क्योंकि मुझे लगा वह हमें प्यार करता है।

जून 2006 में वह अपनी बीमारी का बहाना बनाकर दिल्ली से वापस चेन्नई चला गया। वहां पहुंचकर उसने मेरे भाई को फ़ोन करके कहा कि उसने दिल्ली की नौकरी छोड़ दी है और अब वह वापस नहीं जाएगा। उसने भाई को यह भी कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है और मुझे इलाज के लिए पागलखाने में दाखिल करा दिया गया है। जब दो महीने तक पति ने मेरे बेटे और मेरी कोई खबर नहीं ली और पैसे भी नहीं भेजे तो मैं घबरा गई। उसके पिछले व्यवहार को देखते हुए मैंने *जागोरी* से मदद मांगी। कुछ दिनों बाद वह अपने भाई और मां के साथ आया और हमें ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। मेरा बेटा और मैं बंजारों की तरह इधर–उधर घूमते रहे। उसने अदालत में तलाक़ का केस भी दायर कर दिया। अदालत में उसने मेरे ऊपर तमाम झूठे आरोप लगाए। मैंने *जागोरी* की मदद से अपना केस लड़ने का फ़ैसला लिया। पर विडम्बना यह थी कि मेरे घरवाले, रिश्तेदार, वकील, जज़ सब मुझे एक ही सलाह देते रहते थे कि मै सब कुछ भुलाकर पति से माफी मांग लूं और उसके पास वापस चली जांऊ।

मैं जानती हूं मैं आर्थिक रूप से आत्म निर्भर नहीं हूं। बच्चे की ज़िम्मेदारी भी है। पर मुझे न्याय चाहिए। पति ने मुझे वेश्या कहते हुए किसी दूसरे के साथ भाग जाने का आरोप लगाया था। परन्तु जज और वकील के सामने वह मुकर गया और बोला कि वह हमसे प्यार करता है और वापस मिलकर रहना चाहता है। पर मुझे अब उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है। मैं निश्चय कर चुकी हूं कि अब मैं उसके साथ नहीं रहूंगी।

मैंने अदालत में गुज़ारा खर्च के लिए याचिका भी डाली। नौ महीने बाद फ़ैसला उसके हक में हो गया। मेरी हिम्मत टूट गई थी पर मैंने हार न मानते हुए उच्च न्यायालय में अपील की। यहां पच्चीस तारीखों के बाद अदालत ने पति को मेरे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने, मुझे स्थाई गुज़ारा खर्च देने और जायदाद का पचास प्रतिशत हिस्सा देने का निर्णय सुनाया। अदालत ने सत्र अदालत के तलाक़ को खारिज ठहराते हुए मुझ पर से कठोरता और परित्याग के आरोप भी हटा दिये। साथ ही मुझे अलग रहने और आपसी सहमति से तलाक़ लेने का हक़ भी दिया।

अब मैं अपने सत्रह वर्ष के बेटे के साथ अलग रहती हूं। मेरे बेटे ने मेरी तकलीफ़ों में हमेशा मेरा साथ दिया है। कानूनी तौर पर अभी भी मेरा तलाक़ नहीं हुआ है। हमारी लड़ाई लम्बी और कठिन है पर हम अकेले नहीं हैं।"

आपबीती

"मेरी शादी 16 जनवरी 1996 में हुई। पहले दिन से ही ससुराल में प्रताड़ना शुरू हो गई। पति, सास, ननद सभी गाली गलौज व ताने कसते। पति शराब पीकर रोज़ाना मारपीट भी करने लगा। मायके वालों को बताया तो वे कहने लगे कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर कुछ नहीं बदला। पांच सालों में मेरे तीन बच्चे भी हो गए। मैं ख़ामोशी से सब कुछ सहती रही। पर अब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। मैंने डरते–डरते पुलिस को फ़ोन कर दिया। इसके बाद पति मेरे साथ–साथ बच्चों की जान का भी दुश्मन बन गया। पर मैंने हालतों से लड़ने और संघर्ष करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। मैंने कदम बढ़ाये और सबका सामना करते हुए आगे बढ़ती रही।

मुझे खुशी है कि कानून की मदद से मैंने अपनी व अपने बच्चों की ज़िन्दगी को उस नरक जैसी जगह से निकाल लिया। कानून में न्याय तो है पर लड़ाई बहुत धीरे–धीरे व सबके साथ लड़नी पड़ती है। पर आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि हम इसे ना छोड़ें तो बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति से हम जीत सकते हैं।

मैंने बारह साल इसी कोर्ट–कचहरी की लड़ाई में निकाल दिए हैं। दिल्ली की शायद ही कोई अदालत बची होगी जहां मैं नहीं गई। कानून में अक्सर अन्याय भी होता है। जानकारी न होने के कारण कोर्ट में वकील कुछ भी उल्टा सीधा समझा देते हैं और जिसका केस चल रहा होता है, उसे वही मानना पड़ता है।

मेरी इस कानूनी लड़ाई में जागोरी संस्था तथा मेरी कुछ सहेलियों ने मेरा बहुत साथ दिया।

मैंने अपने पति के ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा का केस डाला है। कुछ साल 498ए धारा के तहत भी केस चला। मेरी हिम्मत ही थी कि आज तक संघर्ष कर रही हूं। पर सही मायने में मुझे कानून से सहायता नहीं मिली इसका मुझे अफ़सोस है।"